श्री अमृत लाल मीणा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 07.06.13 को मधेपुरा जिला की भ्रमण / निरीक्षण टिप्पणी :-

सेवा यात्रा के दौरान मधेपुरा में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिन महादलित परिवारों को वासभूमि दी जा रही है, उनमें से कई परिवारों को इंदिरा आवास का लाभ पूर्व में मिल चुका है, इस कारण इन परिवारों को अब इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

2. समीक्षा के क्रम में प्राप्त निर्देश के आलोक में मधेपुरा जिले के भेलाड़ प्रखंड के रतनपुरा पंचायत के ईटहरी महादलित टोले का भ्रमण किया । भ्रमण के क्रम में यह पाया गया कि इस टोले में कुल 46 परिवारों को क्रय करके वास भूमि उपलब्ध करायी गयी है ।

3. निरीक्षण के क्रम में अंचलाधिकारी द्वारा 28 लाभान्वितों को उपलब्ध करायी गयी तीन-तीन डिसमेल भूमि से संबंधित विवरणी ही प्रस्तुत की गयी थी, जिसका अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि यह भूमि खाता नं. 252, खेसरा नं. 1762 में दर्ज है । **यह भूमि दिनांक 20.06.11 को निबंधित करायी गयी है किन्तु आज तक आवंटितों को भौतिक रूप से सीमांकन करके उपलब्ध नहीं करायी गयी है । जॉच में यह पाया कि जिन परिवारों को क्रय करके जमीन उपलब्ध करायी गयी है वे गैर मजरूआ आम भूमि पर लगभग 50 वर्षों से बसे हुए हैं और उनमें से अधिकॉश को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में पक्का घर मिल चुका है जो इस आम भूमि पर ही बने हैं** ।

4. वस्तुतः इन परिवारों को वास हेतु पर्चा, जिस आम जमीन पर वे रह रहे हैं उसी का देना युक्तिसंगत था । अन्यत्र क्रय कर भूमि देने की आवश्यकता नहीं थी ।

5. भ्रमण के क्रम में निम्नलिखित 15 वास भूमि आवंटियों के संबंध में विशिष्ट जॉच की गयी और निम्नवत तथ्य पाये गये :-

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3
1	चन्दर देवी पति चलित्तर सदा	आम जमीन पर एस्वेस्टस देकर घर बनाया गया है, वर्ष 2007 में इंदिरा आवास योजना में 25000/- रूपये मिला है ।
2	सुगीता देवी पति सिकेन्द्र सदा	वर्ष 2011 में इंदिरा आवास मिला है । घर खिड़की तक बना हुआ है, 15000/- रूपये भुगतान बाकी है ।
3	तिलिमा देवी पति शंभु सदा	आम जमीन पर घर बनाया गया है, वर्ष 2007 में इंदिरा आवास में 25000/- रूपये मिला है ।
4	फुलिया देवी पति कामेश्वर सदा	इंदिरा आवास में 10000/- रूपये मिला था, उससे घर बना है। एक बेटा है उसको बाद में इंदिरा आवास मिला है ।
5	गीता देवी पति रविन्द्र सदा	इंदिरा आवास में 35000/- रूपये मिला है जिससे घर बना हुआ है ।
6	पुर्णिमा देवी पति कमल सदा	इंदिरा आवास बना हुआ है ।

7	दायरानी देवी पति नूनू सदा	इंदिरा आवास में 10000/- रूपये मिला था, घर बना था पर अब कमजोर है ।
8	मीरा देवी पति शत्रुधन सदा	इंदिरा आवास में 35000/- रूपये मिला है जिससे घर बना हुआ है ।
9	रंजू देवी पति दीपू सदा	इंदिरा आवास नहीं मिला है । बी.पी.एल. में नाम है; प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं है। प्रतीक्षा सूची में नाम शामिल करने का निदेश दिया गया ।
10	पवित्रा देवी पति भुगलू सदा	इंदिरा आवास मिला है ।
11	ललिता देवी पति दिनेश सदा	सरकारी जमीन पर इंदिरा आवास मिला है ।
12	सुनिता देवी पति सुखदेव सदा	इंदिरा आवास में 45000/- रूपये मिला है, सरकारी जमीन पर घर खिड़की तक बना हुआ है ।
13	प्रमिला देवी पति अरूण सदा	इंदिरा आवास में 25000/- रूपये मिला है, घर खपड़ा से बना हुआ है ।
14	रूपा देवी पति वंशीलाल सदा	इंदिरा आवास में 25000/- रूपये मिला है, घर खपड़ा से सरकारी जमीन पर बना हुआ है ।
15	चन्दनियाँ देवी पति शंभु सदा	इंदिरा आवास में 35000/- रूपये मिला है, घर खपड़ा से बना हुआ है ।

6. तथ्य और परिस्थितियों से स्पष्टत: विदित है कि इंदिरा आवास का लाभ अधिकाँश परिवारों को मिल चुका है । वास भूमि पर्चा के आधार पर वे दोबारा इंदिरा आवास का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं ।

7. निरीक्षण के क्रम में यह जानने का प्रयास किया गया कि वस्तुत: कोई वयस्क अनाच्छादित पात्र व्यक्ति छूटा तो नहीं है, तो सामान्यत: आच्छादन पाया गया । एक-दो व्यक्ति जो अभी हाल में वयस्क हुए हैं, उनके बारे में जानकारी मिली । इस पर परामर्श दिया गया कि वार्ड सभा आयोजित कर ली जाय और उसके आधार पर नए पात्र लाभान्वितों को जोड़ने की कार्रवाई की जाय ।

8. निरीक्षण के क्रम में पंचायत सचिव श्री शशि भूषण सिन्हा अनधिकृत अनुपस्थित थे । इनसे स्पष्टीकरण पूछकर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।

9. मनरेगा के अंतर्गत इस टोले में लंबे अर्से से काम नहीं दिया गया है । अनेकों वयस्क सदस्य पलायन कर गए हैं । कार्यक्रम पदाधिकारी को कड़ी हिदायत दी गयी कि वे अतिशीघ्र महिलाओं की आवश्यकता के अनुरूप काम शुरू करें । सरजमीन पर कई महिलाओं ने बड़े पैमाने पर काम की माँग की ।

10. निरीक्षण के क्रम में ग्राम पिपराही महादलित टोला, पंचायत अरहा महुआ डीगरा, प्रखंड दोलान का भी निरीक्षण किया । निरीक्षण के क्रम में निम्नवत स्थिति पायी गयी :-

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3
1	दिनेश्वर सादा पिता लक्ष्मी सादा	इनका कहना है कि घर नहीं मिला है जबकि प्रखंड में संधारित पंजी के अनुसार इनको घर मिल चुका है । इसकी जाँच की जाएगी तत्पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी, आवश्यक हो तो प्राथमिकी दर्ज करेंगे ।

2	बोनु सादा पिता स्व. शुकर सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया गया । इसी जमीन पर इनकी पत्नी के नाम से इंदिरा आवास दिया गया है ।
3	ओम सादा पिता बोनु सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया जा रहा है, परंतु इंदिरा आवास नहीं मिला है ।
4	दिलीप सादा पिता छोटी सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया जा रहा है । इन्हें पूर्व में इंदिरा आवास स्वीकृत हो चुका है परंतु राशि नहीं मिली है । इनका पासबुक अन्य व्यक्ति बमभोली मंडल के पास है । इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जॉच कर कार्रवाई करें ।
5	मसो. बलेश्वरी देवी पति जनक सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया जा रहा है । इनको इंदिरा आवास नहीं मिला है क्योंकि इनके पति विद्युत कार्यालय में काम करते थे । ये बी.पी.एल. सूची में नहीं है ।
6	रेणु देवी पति हिरण सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया गया है । इन्हें इसी जमीन पर इंदिरा आवास की मंजूरी भी दी गयी है ।
7	रानी देवी पति पप्पु सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया गया है । इन्हें इसी जमीन पर इंदिरा आवास की मंजूरी भी दी गयी है ।
8	मीणा देवी पति झमेली सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया गया है । इन्हें इसी जमीन पर इंदिरा आवास की मंजूरी 5 वर्ष पहले दी गयी है ।
9	जानी सादा पति राजो सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया गया है । इन्हें इंदिरा आवास की मंजूरी 2 वर्ष पहले दी गयी है । इन्हें दूसरी किस्त नहीं दी गयी है ।
10	शान्ति देवी पति राजो सादा	इनके पति को वासगीत पर्चा दिया गया है । इंदिरा आवास की प्रथम किस्त की राशि दी गयी है । आवास की फोटोग्राफी के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा ।
11	राजेन्द्र सादा पिता महेश्वर सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया जा रहा है । इन्हें इंदिरा आवास की प्रथम किस्त की राशि मिल चुकी है । घर में लिंटल लेबल तक कार्य किया गया है ।
12	वतन सादा पिता राजेन्द्र सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया जा रहा है । इन्हें इंदिरा आवास की मंजूरी 3 वर्ष पहले दी गयी है ।
13	बाबाजी सादा पिता राजेन्द्र सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया जा रहा है । इनका विवाह नहीं हुआ है । बी.पी.एल. सूची में नाम नहीं है । अंचलाधिकारी के अनुसार इनका पर्चा रद्द किया जा रहा है ।
14	डोभी सादा पिता ठीकर सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया जा रहा है । इन्हें इंदिरा आवास की मंजूरी मिल चुकी है ।
15	सुरेश राम पिता रामेश्वर राम	इन्हें वासगीत पर्चा दिया जा रहा है । इन्हें वर्ष 2000 में ही इंदिरा आवास मिल चुका है । घर खपरैल है ।
16	अजय सादा पिता रोनो सादा	इन्हें वासगीत पर्चा दिया जा रहा है । इन्हें इंदिरा आवास मिल चुका है । घर बना हुआ है ।

11. इससे भी स्पष्ट है कि अधिकॉश परिवारों को पूर्व में इंदिरा आवास मिल चुका है और जिस जमीन पर इंदिरा आवास बना हुआ है उसी का पर्चा अभी दिया जा रहा है । इस प्रकार अब पर्चा पाने वाले महादलित परिवारों को गृह विहीन नहीं माना जा सकता है ।

12. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को यह परामर्श दिया जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 150375 दिनांक 31.05.13 के आलोक में कार्रवाई की जाय । इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश

दिया जा चुका है कि जिन परिवारों को अंचलाधिकारी द्वारा पर्चा दिया जाता है, वे इसकी सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे । प्रखंड विकास पदाधिकारी एक-एक करके सत्यापन कर लेंगे और उनमें से जिन परिवारों को घर मिल गया है उनको घर नहीं देंगे तथा शेष के बारे में वांछित प्रक्रिया अपनाकर घर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

17.6.13

(अमृत लाल मीणा)
सचिव

ज्ञापांक 5/सी0/152263 दिनांक 17.06.2013

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

17.6.13
सचिव

ज्ञापांक 5/सी0/152263 दिनांक 17.06.2013

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव / विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

17.6.13
सचिव

ज्ञापांक 5/सी0/152263 दिनांक 17.06.2013

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । संबंधित अंचल अधिकारी पर यथोचित कार्रवाई की जा सकती है ।

17.6.13
सचिव

ज्ञापांक 5/सी0/152263 दिनांक 17.06.2013

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.6.13
सचिव

ज्ञापांक 5/सी0/152263 दिनांक 17.06.2013

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव / आयुक्त मनरेगा / अपर सचिव / श्री संजय कृष्ण, विशेष कार्य पदाधिकारी / श्री सतीश रंजन सिन्हा, Consultant, UNDP / श्री अतुल कुमार वर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.6.13
सचिव